

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20(19)/आयो/निकाशि / 11 87-92 दिनांक 21/6/2011

प्राचार्य,

समस्त राजकीय महाविद्यालय

राजस्थान

विषय :- निशक्तजनों को उच्च शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की एम आर संख्या 1245 दिनांक 10.6.2011की अनुपालना में आपको निर्देशित किया जाता है कि (राज्य सरकार के उपलब्ध नियमों की परिभाषा के अन्तर्गत) राजकीय महाविद्यालयों में निशक्तजनों विद्यार्थियों से शैक्षणिक सत्र 2011-12 से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जावे।



(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक एफ 20(19/01) आयो/निकाशि /

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, माननीय मंत्री सहोदय (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर
- 4 विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 5 संयुक्त निदेशक, (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर



संयुक्त निदेशक

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101) 01 आयो/निकाशि / 1210-16 दिनांक 1-7-2011

संशोधित आदेश


निशक्तजनों को उच्च शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध निदेशालय के आदेश क्रमांक 1187-92 दिनांक 21.6.2011 के क्रम में राज्य सरकार की एम आर संख्या 1245 दिनांक 10.6.2011 की अनुपालना में आपको निर्देशित गया था कि (राज्य सरकार के उपलब्ध नियमों की परिभाषा के अन्तर्गत) राजकीय महाविद्यालयों में निशक्तजनों विद्यार्थियों से शैक्षणिक सत्र 2011-12 से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जावे में आशिक सशोधन करते हुए इसके स्थान पर यह पढा जावे कि प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जावे।


संयुक्त निदेशक

क्रमांक एफ 20 (101) 01 आयो/निकाशि / 1210-16 दिनांक 1-7-2011

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर
- 4 विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 5 संयुक्त निदेशक, (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
- 6 समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान, जयपुर


संयुक्त निदेशक